(ग) आयोग ने कहा है कि " यह आश्चर्यजनक बात है कि मूल जमीनधारक ने शिकायत करने पर भी राजस्व विभाग के अधिकारियों ने नामांतरण कर दिया और "विक्रेता" बताकर मूल भूधारक के खाते से जमीन का रिकॉर्ड सर्वे नं. हटा दिया गया" "यह भी विशेष है कि जबकि किसी एक जमीन की एक से अधिक रजिस्ट्रियां बांध प्रभावितों ने पेश की, तब भी किसी प्रकार की जांच के बिना नगद रकम अदा की गयी।" जहां फर्जी विक्रय पत्र पेश किय हैं, वहां गतिमानता से दूसरी किश्त दी गयी किंतु जब सही विक्रय पत्र प्रस्तुत किए गए तब उस पर अनेक प्रकार की कड़ी जांच करवाई गयी।" "कई प्रकरणों में विक्रय पत्र दलालों ने ही न.घा.वि.प्रा. के कार्यालय में पेश किए गए और उस पर आधारित चेक वितरण किया गया।"

(घ) आयोग ने 186 दलालों की सूची जोड़कर कहा कि जबकि दलालों ने अपना सहभाग नकारा है, आयोग की जांच से यह प्रथमदर्शनी साबित होता है कि उन्होंने इस अवैध लेने देन में हिस्सा लिया है। आयोग के अनुसार इतने बडे पैमाने पर पैसे का आवंटन करने वाले, अंजड, राजपुर, जिला बडवानी तथा मनावर, कुक्षी, धरमपुरी जिला धार में पदस्थ भूअर्जन व पुनर्वास अधिकारियों ने विक्रय पत्रों की सत्यता की जांच नहीं की। आयोग ने अपनी संपूण खोज से भ्रष्ट प्रक्रिया का वर्णन करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि "विशेष पुनर्वास अनुदान" की नगद राशि देने की पूरी नीति ही गलत होना, इस फर्जीवाडे के पीछे का प्रमुख कारण है।

आयोग ने अपनी संपूर्ण जांच का वर्णन करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि "विशेष पुनर्वास अनुदान की नगद राशि देने की पूरी नीति ही गलत होना, इस फर्जीवाड़े के पीछे का प्रमुख कारण है।"

(च) 88 पुनर्वास स्थलों के निर्माण में

आयोग ने 88 पुनर्वास स्थलों पर बने निर्माण कार्यों की जांच मौलाना आजाद इंसटिट्युट ऑफ टेक्नोलोजी (MANIT), भोपाल व आईआईटी, मुंबई के द्वारा करवाई थी।

आयोग ने इस रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी और निष्कर्ष निकाले हैं, जिनमें प्रमुख निम्न हैं:–

न.घा.वि.प्रा. के इंजिनीयर अधिकारियों तथा ठेकेदारों ने पुनर्वास स्थल नियोजन में कई सारे नियमों का उल्लंघन किया है जैसे कि, किसी भी निर्माण में भू–गर्भशास्त्रीय जांच (भूमि की) होना आवश्यक होता है जो नहीं की गई।विविध स्थलों की विशेषता को ध्यान में लेने के बदले एक ही "मॉडल डिजाइन" निकालकर ठेके दिए गए। ट्रान्सफॉर्मर्स की खरीदी में बड़ा संदेह दिखाई देता है, 425 ट्रांसफॉर्मर्स की संख्या दिखाई गई और प्रत्यक्ष में 1021 ही सर्टिफिकेट दिखाए गए। इसमें निश्चित ही एक ही ट्रान्सफॉर्मर 10 से 20 पुनर्वास स्थलों के लिए खरीदा गया और न.घा.वि.प्रा. तथा इलेक्ट्रिक सप्लायर कंपनी इसमें सम्मिलित है।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पुनर्वास निर्माण कार्य में "रपटों" का कार्य, जरूरत से ज्यादा किया गया जिसमें खर्चा भी अधिक होकर उद्देश्य अनेक स्थलों पर पूरा नहीं हो पाया।

पानी की परीक्षा, आर्सेनिक, फ्लोराइड की दृष्टि से न करते हुए पानी पुनर्वास स्थल पर उपलब्ध कराया गया है।

नियोजन तथा निगरानी का पूर्ण अभाव, आयोग के निष्कर्ष में है। पीडब्ल्यूडी मैन्युअल अनुसार कार्य नहीं किया गया। जीरों तकनीकी जांच, तकनीकी मंजूरी की प्रक्रिया, क्वालिटि कंट्रोल आदि में काफी त्रुटियां बताई गई हैं। अनेक निर्माण कार्य में भी नियमों का पालन नहीं करते हुए, क्वालिटि कंट्रोल नहीं किया गया।

(छ) माननीय न्यायधीश श्री एस.एस झा, अध्यक्ष एसएसपी जांच आयोग इंदौर की रिपोर्ट का निष्कर्ष निम्नानुसार है:–

a. The reason for fake sale deeds in is faulty SRP Policy of the Government. The Government was not having sufficient irrigated agricultural lands in their Land Banks near the R & R sites. The Policy itself is against Narmada Award, and the judgment of the Supreme Court. Supreme Court has observed that the PAFs and PAPs should live bette life has been frustrated by this Policy.

b. By not allowing any scrutiny of the sale deeds and free hand has been given to the Rehabilitation Officers and Land Acquisition Officers in disbursing the compensation which resulted into large number of fake sale deeds.

c. The free access to middlemen in the Office of NVDA in getting the money withdrawn of the oustees also feflects about the interest of middlemen and nexus with NVDA officials. Though evidence is not received against the NVDA officials all the oustees have stated that they were made to sit outside the NVDA Office and their work was done by the middlemen and they were made to sign on the papers without explaining the contents discloses that NVDA officials had obtained signatures or thub impressions of the outees without explaining the contents demonstrate irregularity on their part and they are prima facie responsible for large number of fake registries.

d. The quality of construction was very poor without any planning. No geographical mapping was done before selecting the R &R sites house building sited for residential plots. There was a faulty policy of not establishing a laboratory to test the soil for carrying out constructions on the black cotton soil. The construction was done on the R & R sites on common maps and designs of the building. Superior officers had never cared to visit R & R sites to examine the construction work. The Government has found 40 engineers responsible for substandard quality of construction, but has not cared to rectify the defect after finding the substatndard

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

construction. Most of the places the expenditure on construction has gone waste as the R & R sites are not occupied by the oustees or they are occupied by very few PAPs and PAFs. Thus, the expenditure on these sited is waste of money.

e. The NVDA has not maintained proper records relating to livelihood grants and altenative livelihood which itself demonstrate that there was large scale corruption in the livelihood grants and alternative livelihood.

The officers of NVDA involved in allotment of house plot sited have not followed the Rules framed by the Government in allotting the plots. They have allotted the plots in an arbitrary manner ans usurp the power of changing the allotment which was not vested with them. Thus, this shows their corrupt intention. Any arbitrary action attracts the vice of mala fide. The officers involved in allotment of plots are wholly responsible for irregularities and corruption in allotment and change of plots.

वर्तमान में सरदार सरोवर बांध की परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आई. ए. क्रमांक 40–45/2014 in WP No. 328/2002 प्रचलित है इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के समक्ष डब्लू.पी. 14765/07 प्रचलित है।

विस्थापितों की व्यक्तिगत शिकायतों के निराकरण हेतु उच्च न्यायालय के 5 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में 5 खंडपीठ कार्यरत है।

(ज) उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ इंदौर में शिकायत निवारण प्राधिकरण के पारित आदेशों के विरूद्ध अनेक प्रकरणों में याचिकायें विचाराधीन है।

(झ) म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से दायर अनेक याचिकाये जिसमें भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत लंबे समय पूर्व पारित भू–अर्जन अवार्ड को असामन्य करते हुए नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के अंतर्गत नये सिरे से मुआवजा दिये जाने की मांग की गई है, विचाराधीन है।

5.0 माननीय न्यायालय के फैसलों पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई कार्यवाही:–

5.1 (1)WP No. 319/1994 [2000(10)SCC-664] मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 18–10–2000 के पश्चात् सरदार सरोवर बांध का निर्माण 90 मीटर तक तत्काल तथा वर्ष 2001 में 95 मीटर, 2002 में 100 मीटर, 2004

रामेश्वर ओरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

में 110 मीटर तथा 2006 में 121.92 मीटर जो कि बांध का क्रेस्ट लेबल है, तक का निर्माण कार्य किया गया। बांध के प्रत्येक चरण में शिकायत निवारण प्राधिकरण, पुनर्वास उप–दल, पर्यावरण उप दल, की अनुशंसाओं के उपरांत नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा समुचित रूप से बांध ऊंचाई बढ़ाने की विधिवत अनुमति जारी की गई है।

5.2 (2)WP No. 328/2002 :- मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिकायत निवारण प्राधिकरण का गठन किया गया। वर्तमान में यह प्राधिकरण प्राप्त होने वाली शिकायतों पर कार्यवाही कर रहा है।

5.3 (3)L.A. No. 4 and 7/2004 in WP No. 328/02 [2005(4)SCC-32]:- माननीय उच्चतम न्यायालय के सभी आदेशों का पालन मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है।

5.4 (4)WP No. 14765/02 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुरः–

मध्य प्रदेश शासन की ओर से बांध ऊंचाई 138.68 मीटर से डूब प्रभावित होने वाले समस्त ग्रामों का भू–अर्जन कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा पूर्ण जलाशय स्तर पर विभागीय सूची में सम्मिलित विस्थापित परिवारों को पात्रतानुसार पूर्णतः अथवा अंशतः लाभ दिये जा चुके हैं एवं इस आशय का कार्यकृति प्रतिवेदन (ए.टी.आर.) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण को दिनांक 24–03–2008 को प्रस्तुत किया जा चुका है। इन सब विवादों के फलरूवरूप वर्ष 2006 से 2014 तक सरदार सरोवर परियोजना बांध का निर्माण कार्य, बांध के क्रेस्ट लेबल 121.92 मीटर पर यथा स्थिति पर रहा जबकि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा बांध ऊंचाई 121.92 मीटर के बाद का निर्माण 2 चरणों में कराये जाने का निर्णय लिया था।

- क्रेस्ट लेबल पर बांध के पियर्स, ब्रिज का निर्माण किया जाना तथा बांध पर गेट्स खुली स्थिति में लगाये जाना।
- गेट्स को बंद किया जाना।

5.5 मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई अन्य कार्रवाईः–

मध्य प्रदेश शासन के अनुसार सरदार सरोवर परियोजना बांध की वर्तमान ऊंचाई 121.92 मीटर तक म.प्र. में डूब का कोई बहुत अधिक प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिये भू–अर्जन अवार्ड की मुआवजा राशि एवं पुनर्वास का पूर्ण/आंशिक लाभ लेने के उपरांत भी अधिकांश विस्थापित अपने मूल ग्राम में पूर्ववत निवासरत होकर जीवन यापन कर रहे हैं।

5.6 वस्तुतः सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत अब तक गुजरात राज्य में 5542 विस्थापित परिवारों को 11084 हे. कृषि भूमि, मध्य प्रदेश में 52 विस्थापित परिवारों को उनकी पसंद की 108 हे. भूमि एवं 175 विस्थापित परिवारों को 379 हे. भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 2906 विस्थापितों ने 2033 हे. अर्जित भूमि के बदले व शेष पुनर्वास अनुदान राशि से 6117 भूमि क्रय करने की रजिस्ट्री प्राप्त

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

की तथा 950 विस्थापितों ने रूपये 28.79 करोड़ की राशि बिना भूमि क्रय किये स्वेच्छा से प्राप्त की है।

5.7 जिन विस्थापित परिवारों के विक्रय पत्र माननीय झा आयोग की रिपोर्ट में पूर्णतः फर्जी पाये गये हैं उनके क्रेता–विक्रेता एवं दलाल, जिनके नाम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिये हैं, के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जा रहे हैं।

5.8 राज्य शासन द्वारा सरदार सरोवर के परियोजना के भू–अर्जन, एवं पुनर्वास के अंतर्गत किये जा रहे प्रयासों के अतिरिक्त मॉनिटरिंग हेतु केन्द्र शासन के प्रतिनिधि के रूप में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण मॉनिटरिंग कार्यरत है। अर्द्ध न्यायिक संस्था के रूप में शिकायत निवारण प्राधिकरण की 5 खण्डपीठ कार्यरत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा समुचित निर्णय पारित किये गये है/ प्रकरण प्रचलित हैं। राज्य शासन के अनुसार अभी तक नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा बांध के गेट बंद करने संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिये मानसून 2017 के पूर्व कोई अतिरिक्त डूब क्षेत्र निर्मित होने का प्रश्न ही नहीं है।

6.0 गवाहों के बयान

रामेश्वर उराँव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

डॉ.रामेश्वर उरॉव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग विस्थापितों से उनकी समस्याओं को सुनते हुए।

6.1 जिला आलीराजपुर, ककराना के विस्थापित श्री सुरभानः –

श्री सुरभान ने आयोग को बताया कि उनकी 1.7 हेक्टेयर जमीन डूब में गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम रिगनोंद, तहसील सरदारपुर जिला धार में कृषि जमीन तथा ग्राम धरमराय, तहसील कुक्षी जिला धार में घर का प्लॉट दिया गया है। इनकी आपस में दूरी काफी है जिसके कारण वे खेती नहीं कर पा रहे हैं। लेन्ड बैंक द्वारा दी गई जमीन उपजाऊ नहीं है और पथरीली भी है। रिंगनोंद में जमीन देने से पूर्व सुरभान व उनके गांव के विस्थापितों ने ग्राम खजूरी तहसील थान्दला, जिला झाबुआ में लैण्ड बैंक की जमीन की मांग की थी किंतु उन्हें यह जमीन आवंटित नहीं की गई। डूब प्रभावित होने से उन्हें 2 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा घर का प्लॉट एवं सभी सुविधाएं पुनर्वास नीति के अनुसार देना थी जो आज तक नहीं दी गई हैं। आलीराजपुर के 26 गांव के लिए पुनर्वास स्थल नहीं बनाए गए।

6.2 जिला आलीराजपुर, रोलीगांव तहसील सोण्डवा, श्री सिरला, पिता कनियाः–

सिरला ने बताया कि जिस समय सर्वे हो रहा था वह गुजरात में मजदूरी करने गया था जिस कारण उसका नाम आज तक सर्वे में नहीं आ पाया। तीन साल पूर्व जीआरए में इस विषय पर अपना अभ्यावेदन दिया था जिस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। उसकी पूरी जमीन डूब गई है। श्री सिरला का अनुरोध था कि उन्हें उनकी जमीन दिलाकर न्याय दिया जाए।

6.3 जिला बड़वानी, गांव भादल के श्री गोखरू, पिता मागल्याः–

श्री गोखरू ने बताया कि उनके गांव के तीस लोग मुआवजे के लिए घोषित किए गए थे जिसमें से आज तक केवल ग्यारह विस्थापितों को खलघाट में भूमि दी गई है। बचे हुए 19 लोग आज तक भूमि से वंचित हैं। सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन भी लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अनुसार 19 लोगों को जमीन राज्य सरकार

रामेश्वर ओरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

को दी जाना है। जो आज तक नहीं दी गई है। उनकी मां को जिस स्थान पर जमीन दी गई है वह भी उसी के आस पास अपनी जमीन चाहता है जिस पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। जीआरए ने भी आदेश दिया है कि उसे जमीन दी जाए।

6.4 जिला धार के श्री कैलाश आवस्या, पिता गणेश :–

श्री कैलाश आवस्या ने आयोग को बताया कि उनके पांच भाइयों को भूमि पात्रता है। उनके पिता की भूमि 2001 में अर्जित की गई थी। उन्हें मुआवजे की जमीन लेन्ड बैंक द्वारा पसंद करवादी गई है किंतु आज तक भूमि का आवंटन नहीं हुआ जबकि मेरा पंचनामा हो चुका है। सन् 2013 में शिकायत निवारण प्राधिकरण ने राज्य शासन को आदेश दिए थे कि उनके प्रत्येक भाई को 5 एकड़ भूमि दी जाए साथ ही वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष 15 हजार रुपए के नुकसान की भरपाई की जाए। किन्तु अग्रिम कार्यवाही नहीं हो रही है।

6.5 जिला आलीराजपुर, भिताड़ा के श्री मकराम, पिता अवतार सिंह :–

श्री मकराम ने आयोग को बताया कि वे वर्ष 1990 में वे सब संयुक्त परिवार में तीन भाइयों के साथ रहते थे उनके बड़े भाई को डूब की जमीन मिल गई है और बाकी दो भाइयों को जीआरए ने अवयस्क घोषित कर दिया था जिसके कारण उन्हें आज तक जमीन का मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। पिता की मृत्यु हो चुकी है। वर्ष 1990 में उनके बड़े भाई 31 वर्ष के थे उसके बावजूद भी उन्हें अवयस्क घोषित किया गया तथा वे अपने मुआवजे की 2 हेक्टेयर भूमि लेने से वंचित रह गए। उन्होंने कहा कि उचित कार्यवाही कर उन्हें उनका हक दिलाने का कष्ट करें ।

6.6 जिला धार, श्री सुनील, पिता फकर गांव धर्मपुरी :–

श्री सुनील ने बताया कि उन्हें घर के लिए 60'X90' का प्लॉट दिया गया है जो नदी के किनारे है। यह भूमि डूब क्षेत्र में हैं इसके कारण वे आज तक अपना मकान नहीं बना सके हैं। जीआरए में उन्होंने अपनी समस्या का विवरण दे दिया है किंतु आज तक उनके अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं हुई है।

6.7 जिला धार, ककराना के श्री नकला पिता नान सिंह:–

श्री नकुला ने आयोग को बताया कि उनको गांव मूसापुर में 2 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा मिला है तथा प्लॉट 60'X90' का मिल गया है किंतु वे आज तक घर नहीं बना पाए हैं और न ही फसल उगा पाए क्योंकि जो स्थानीय निवासी हैं वे उन्हें उस स्थान पर फसल नहीं लगाने देते और न ही घर बनाने देते हैं।

6.8 जिला आलीराजपुर, ग्राम खारया भादल श्री पाडिया, पिता जाम सिंह भिलाला:–

श्री पांडया ने आयोग को बताया कि उनकी पूरी जमीन सरदार सरोवर बांध की डूब में आ गई है। उनके पिता को कृषि भूमि नहीं मिली है। उनके पक्ष में शिकायत

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

निवारण प्राधिकरण ने 2013 में विस्तृत आदेश दिया था जिसका पालन आज तक नहीं हुआ है।

6.9 जिला आलीराजपुर, श्री लाल सिंह पिता कोटवाल :-

श्री लाल सिंह ने आयोग को बताया कि उनके बड़े भाई को मुआवजे की जमीन एवं प्लॉट प्राप्त हो गया है किंतु यह एक अपवाद है कि उनके पिता जो घर के मुखिया हैं उन्हें और वयस्क पुत्र होने के नाते मुझे जमीन का आवंटन आज तक नहीं किया गया है। अपनी शिकायत पटवारी को करने पर पटवारी कहता है कि पहले जमीन ढूंढ लो तब तुम्हें जमीन आवंटित की जाएगी।

6.10 जिला आलीराजपुर के श्री दिनेश, पिता बल्लू, तहसील सोंडवाः-

श्री दिनेश ने बताया कि उनके भाई एवं पिता को 5 एकड़ भूमि दी गई है। उन्हें रहने के लिए भूखण्ड दे रहे हैं किंतु खेती के लिए 2 हेक्टेयर जमीन नहीं दी जा रही है।

6.11 जिला धार, श्री नान सिंह गांव हिम्मतगढ़ :-

श्री नान सिंह ने बताया कि उसे मुआवजे की जमीन हिम्मतगढ़ जिला धार में मिली साथ ही रहने के लिए भूखण्ड भी दिया गया किंतु वहां के स्थानीय निवासी मुझे न तो घर बनाने देते हैं और न ही खेती करने देते हैं। उन्होंने उस जमीन पर ज्वार. बाजरा बोया किंतु स्थानीय निवासियों ने फसल नष्ट कर दी। उन्हें इस भूमि का पट्टा भी नहीं दिया गया है। उनके द्वारा शिकायत करने पर तहसीलदार ने स्थानीय लोगों को चेतावनी देते हुए भगा दिया था किंतु भूमि पर स्थानीय लोगों ने पुनः अतिक्रमण कर लिया है।

6.12 जिला आलीराजपुर श्री सारदिया पिता नरगावे, भिलाला, ग्राम कुकडियाः-

श्री सारगिया ने आयोग को बताया कि उनकी 15 एकड़ भूमि डूब में आई है। शासन द्वारा उन्हें केवल 5,24,000रु मुआवजा दिया गया है। उनके परिवार को मुआवजा का रुपया नहीं चाहिए, जमीन के बदले में जमीन ही चाहिए। वे मुआवजे की राशि लौटा देंगे।

6.13 जिला आलीराजपुर, श्री प्रवीण भाई रणछोर तड़वीः-

श्री प्रवीण भाई ने बताया कि 1987 को मुआवजे की कटऑफ वर्ष बताया गया था जिसमें वयस्क पुत्रों का नाम आना चाहिए था परंतु मुआवजा देते समय कुछ वयस्क पुत्रों के नाम छूट गए थे किंतु शिकायत करने बावजूद भी उनके नाम मुआवजा राशि/प्लॉट/भूमि के लिए नहीं जोड़े गए। जिन स्थलों को पुनर्वासित करने के लिए बसाया गया उनमें मूलभूत आवश्यकताओं को भी नहीं दिया गया है। मकान ऐसे स्थान पर बना दिए गए हैं जहां दिन में भी नहीं रह सकते। पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, कुछ जगह पर हैण्डपम्प लगाए गए हैं किंतु व खराब हो चुके हैं जिनकी मरम्मत नहीं की गई है।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6.14 जिला आलीराजपुर, श्री शेरसिंह भिलाला, गांव उम्दाः–

श्री शेरसिंह ने आयोग को बताया कि उन्हें जमीन के बदले जमीन ही चाहिए। उन्हें जो जमीन दिखाई गई है वो या तो पहाड़ी ज़मीन है या दलदल वाली जमीन है। उन्होंने बताया कि उन्हें मुआवजा की एक किश्त 2,0000रु मिल चुकी है लेकिन वे इस राशि को वापस करना चाहते हैं। उन्हें अपनी जमीन के बदले या तो आलीराजपुर में या गुजरात में जमीन दी जाए।

6.15 जिला आलीराजपुर श्री खेमा, गांव माछलियाः–

श्री खेमा ने आयोग को बताया कि उनकी 11 एकड़ जमीन, 2 कुएं और कई पेड़ डूब में आए हैं जिसकी एवज में उन्हें रु 5,00,000 का मुआवजा दिया गया है। प्राप्त मुआवजा राशि, मिलने वाली मुआवजा राशि से कम है। यह मुआवजा राशि पूरी एक साथ न देकर किश्तों में दी गई जो 6-6 महीने में प्राप्त हुई, हर किश्त निकालने पर अधिकारियों द्वारा 5-5 हजार रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे गए।

6.16 जिला आलीराजपुर, तहसील सोण्डवा ग्राम बेहड़वा श्रीमती वालकी बेवा रंगू :–

श्रीमती वालकी ने आयोग को बताया कि उनके पति की 30 प्रतिशत से अधिक भूमि सरदार सरोवर बांध परियोजना की डूब से प्रभावित हुई थी। वे गुजरात राज्य में पुनर्वास का लाभ लेने के लिए पात्र थे। उसके पति की मृत्यु होने के बाद पुनर्वास की भूमि से वंचित रखा गया। उसने अपना प्रकरण शिकायत निवारण प्राधिकरण में रखा तथा न्याय नहीं मिलने की दशा में जीआरए में भी दिया। किंतु जीआरए में भी उनके प्रकरण पर सही न्याय नहीं मिलने कारण मुझे हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई। वे हाईकोर्ट के वकील की फीस देने के लिए सक्षम नहीं हैं। अतः आयोग से सहायता मांग रही हूं कि मुझे मुआवजा दिलवाएं।

6.17 जिला आलीराजपुर, ग्राम ककराना, श्री दिनेश मांझी पिता बल्लू, :–

श्री दिनेश मांझी ने आयोग को बताया कि उनके परिवार की जमीन डूब छेत्र से प्रभावित हुई है। दिनेश मछली पालन एवं नाविक का कार्य भी करते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने अज्ञानतावश भू.अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालय आलीराजपुर से भूखण्ड के मुआवजे में 50,000रु का अनुदान वर्ष 2006 में प्राप्त कर लिया था जबकि उनके पिता को भूखण्ड के बदले भूखण्ड तथा 2 हेक्टेयर भूमि गुजरात में मिली है। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वे अब 50,000रु लौटाकर भूखण्ड के बदले भूखण्ड चाहते हैं। उनके जैसे कुछ लोगों ने शिकायत निवारण प्राधिकरण में पुनर्वास के विकल्प

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

के बदलने के लिए आवेदन दिया था जिस पर शिकायत निवारण प्राधिकरण ने उन्हें भूखण्ड के बदले भूखण्ड दिया है किंतु उनके आवेदन पर उन्हे न्याय नहीं मिला।

6.18 जिला आलीराजपुर, ग्राम बेहड़वा, श्री देवला पिता सुरतान :–

आवेदक ने आयोग को बताया कि ग्राम बेहड़वा में स्थित वन भूमि पर उनके पिता स्वर्गीय सुरतान द्वारा वर्ष 1959–60 से अतिक्रमण किया गया था। इसी भूमि से उनके परिवार का जीविका चल रहा थी। इस भूमि का उन्हें खसरा भी मिला हुआ है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण पुनर्वास एवं पुनर्वाव्यवस्थापन नीति के अनुसार किसी भी अतिक्रमणकर्ता को भूमि अधिग्रहण अधिनियिम की धारा 4 के अनुसार एक वर्ष पहले के अतिक्रमणकर्ता को कम से कम दो हेक्टेयर कृषि भूमि एवं अन्य पुनर्वास सुविधा गुजरात राज्य में प्रदान करने का प्रावधान है। आवेदक के अनुसार उन्हें आज तक मुआवजे के तौर पर गुजरात राज्य में पुनर्वास का लाभ नहीं दिया गया है।

6.19 जिला आलीराजपुर, ग्राम रोलिगांव श्री भंगा पिता सतलीयर :–

श्री भंगा ने आयोग को बताया कि पुनर्वास की सूची में उनका नाम है किंतु आज तक उन्हें घर, जमीन प्राप्त नहीं हुई है। उनके गांव के सभी लोग एवं रिश्तेदार गुजरात में जमीन प्राप्त हो जाने के बाद पुनर्वास स्थल पर जा चुके हैं किंतु उन्हें अभी तक पुनर्वास से वंचित रखा गया है। पटवारी से अपील करने पर पटवारी कहता है कि उनका जीआरए से आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

6.20 जिला आलीराजपुर, ग्राम कुलवट ,श्री गीलदार पिता कोलू :–

श्री गीलदार तथा श्री डेंगरी पिता नटू, मिरला पिता हजला, पिरला पिता हजला, सिरला पिता हजला, हरसिंह पिता पहाड़ सिंह और नरसिंह पिता मकना ने आयोग को बताया कि उनकी जमीन का 25 प्रतिशत से अधिक भाग डूब में प्रभावित हो चुका है किंतु पारित अवॉर्ड में उसे 25 प्रतिशत से कम डूब प्रभावित बताया है जिसके कारण उन्हें गुजरात में कृषि भूमि एवं आवासीय भूखण्ड नहीं मिले हैं।

6.21 जिला आलीराजपुर, ग्राम कुकड़िया, श्री धुधरिया पिता पुनिया ग्राम :–

श्री धुधरिया ने आयोग को बताया कि वे चार भाई हैं तथा उनकी मां उनके साथ रहती हैं। आवेदकगणों की भूमि डूब से प्रभावित नहीं बताई गई है जबकि भौगोलिक दृष्टि तथा साक्ष्यों के अनुसार उनकी भूमि डूब में आती है। वर्ष 2013 में पानी आने के कारण उनकी भूमि में पानी भर गया था। श्री धुधरिया ने आयोग से मांग रखी है कि उनकी जमीन का पुनः सर्वे किया जाए तथा उन्हें पुनर्वास का लाभ दिलवाया जाए।

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6.22 जिला आलीराजपुर, गांव भीती के श्री जोहारसिंग पिता श्री रणसिंगः–

जोहारसिंग ने आयोग को बताया कि उनकी 14 एकड़ जमीन बांध प्रभावित है जिसमें कुआं और कई पेड़ भी डूब में आए हैं। उन्हें मुआवजे की राशि प्राप्त हुई थी जिससे वो कोई जमीन नहीं खरीद पाए हैं। मेरे नाम से विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं हुआ है परंतु शासन के रिकॉर्ड में खरगोन में मेरे नाम से कृषि भूमि खरीदी गई है। मुझे न्याय दिलाया जाए।

6.23 जिला धार, ग्राम कडमाल व खारपखेड़ा तहसील कुक्षी के श्री विजय पिता भारतः–

श्री विजय ने आयोग को बताया कि सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित उनके गांव के कई मकानों का सर्वे होना बाकी है। उनके गांव के कई वयस्क पुत्र/पुत्री को घर का प्लॉट व कृषि भूमि आज तक प्राप्त नहीं हुई है। उनके गांव की कृषि भूमि (लगभग 800 एकड़) टापू बन गई है, जिसके कारण आने जाने का कोई साधन नहीं है।

6.24 जिला बड़वानी, ग्राम अवल्दा के श्री पेमा पिता बाबूः–

श्री पेमा ने आयोग को बताया कि उनके गांव के 90 मकानों का आज तक मुआवजा नहीं मिला है। 10 विस्थापित परिवार ऐसे हैं जिन्हें जमीन के बदले जमीन मिलना बाकी है। उन्हें शासन ने विशेष पुनर्वास अनुदान की प्रथम किश्त 2005 में दी थी, किंतु आज तक जमीन नहीं प्राप्त हुई है। उनके गांव की जमीन टापू बन गई है।

6.25 जिला आलीराजपुर ,ग्राम ककराना, श्री निमजी गेरिया तथा अन्य आवेदकों का आवेदन :–

श्री निमजी गेरिया तथा अन्य के आवेदन से आयोग को ज्ञात हुआ है कि इस गांव के विस्थापित परिवारों में वयस्क पुत्रों को मुआवजा राशि की सूची में नहीं रखा गया है, जबकि उनके पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड हैं। किंतु दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में लगभग 26 गांव पुनर्वास के लिए सूची में रखे गए थे केवल दो पुनर्वास स्थल बनाए गए हैं। पहला ग्राम खजूरी तहसील थान्दला जिला झाबुआ बनाया गया है किंतु उनमें ककराना, अंजनवाडा तथा सुगट के विस्थापितों को पुनर्वासित नहीं किया गया है। दूसरा ग्राम उम्दा, तहसील जोबट जिला आलीराजपुर पुनर्वास स्थल बनाया गया वहां पर भी कृषि के लिए भूमि नहीं दी गई। इस स्थल को माननीय न्यायाधीश झा आयोग ने भी अपनी जांच में रखा था तथा इसे पुनर्वासित स्थल के लायक नहीं पाया था। उन्होंने यह भी बताया कि 26 गांवों में से केवल 8 लोगों को जमीन के बदले जमीन मिली है, पुराने अतिक्रमणकारी अभी भी विस्थापितों को धमकाते हैं और जमीन पर काबिज हैं। इस जमीन पर दो चौकीदारों के मकान भी हैं जिन्हें नहीं

रामेश्वर ओरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

हटाया गया है। ककराना तथा सुगट के 8 विस्थापितों को धार में जमीन दी गई है लेकिन उन्हें पट्टे आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

6.25.1 मछली पालन सहकारी समिति का निर्माण :–

निमजी गेरिया तथा अन्य के आवेदन के अनुसार ग्राम अंजनबाड़ा के विस्थापित लोगों ने मछली पालन सहकारी समिति मर्यादित के नाम से एक मछुआ समिति को विधिवत पंजीयन हेतु जिला आलीराजपुर में भेजा था। पंजीयन विभाग ने समिति के पंजीकरण हेतु मत्स्य विभाग और नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण को अनुमति देने हेतु भेजा था जहां से आज तक पंजीयन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मछली पालन डूब प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के लिए आजीविका का साधन है जिन कृषकों की 25 प्रतिशत से कम भूमि डूब में आई है अथवा अवयस्क विस्थापित श्रेणी में हैं उनके लिए यह पंजीकरण हो जाने से उनकी जीविका का साधन हो जाएगा।

6.25.2 राशन की दुकानों पर राशन नहीं मिलने की शिकायतः–

ग्राम ककराना, झण्डाना, भीताड़ा, अंजनबाड़ा, डूबखेड़ा तथा जलसिंधी में भोजन के अधिकार के तहत राशन दुकान का आरम्भ हुआ था जिससे आदिवासियों को हर महीने सस्ता व सुविधाजनक राशन मिल जाता था किंतु इस वर्ष इस क्षेत्र के लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। ककराना में दो महीने छोड़कर एक बार राशन वितरण किया जा रहा है।

6.25.3 सामाजिक पेंशन नहीं मिलने की शिकायतः–

वृद्धापेंशन, विधवा पेंशन तथा निराश्रित पेंशन एवं विकलांग पेंशन इस क्षेत्र में किसी को भी नहीं प्राप्त हो रही है। मातृत्व सहायता के लिए शासन की ओर से दी जाने वाली सहायता अप्राप्त है।

6.25.4 स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों की शिकायतः–

ककराना में स्वास्थ केंद्र भवन है लेकिन केंद्र में न तो डॉक्टर रहता है और न ही दवाइयां उपलब्ध हैं। आज तक शासन की ओर से भिताड़ा तथा जल सिंधी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं शुरू किए गए हैं। बीमार पड़ने की स्थिति में आदिवासियों को मोटरवोट तथा जीप का भाड़ा देकर गुजरात ले जाना होता है जिससे उनका 3–4 हजार रुपय का खर्चा हो जाता है।

रामेश्वर 3/15

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7.1 जिला बड़वानी से संबंधित समस्याओं पर चर्चा :–

बैठक में उपस्थित जिला बड़वानी के कलेक्टर श्री तेजस्वी नायक से माननीय अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि – (i) जिले में अनुसूचित जनजाति के हॉस्टल में सीट्स की कमी के विषय में छात्रों से शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के अनुसार महाविद्यालय में पढ़ने वाले आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 50 सीटर छात्रावास बालकों के लिए एवं 50 सीटर छात्रावास बालिकाओं के लिए हैं जबकि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला होने के कारण आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या लगभग 5,000 है। शहर में पर्याप्त मात्रा में किराए पर कमरे नहीं मिलते हैं जिनमें छोटे–छोट कमरों में 4–5 व्यिार्थी एक साथ रहते हैं। कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान में 50 सीटर छात्रावास है। जिन छात्रों को छात्रावास में रहने का स्थान नहीं मिलता है वे शहर में किराए से कमरा लेकर रह सकते हैं। छात्रों द्वारा दिए गए किराए को राज्य शासन द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। यह सत्य है कि छात्रावास कम हैं शीघ्र ही इस समस्या पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में कम्प्युटर एवं लाइब्रेरी की कमी के लिए छात्रों द्वारा की गई शिकायत के विषय में पूछा। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि छात्रों ने यह शिकायत की है कि वर्तमान ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के नियम के कारण उन्हें कम्प्युटर नहीं होने कारण समस्याओं का सामना करना होता है। जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि उन्हें जल्द ही कम्प्युटर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि छात्रावासों में खेल–कूद तथा जिम के साधन हेतु कार्रवाई कर रहे हैं। (ii) बड़वानी के अनुसूचित जनजाति छात्रों ने आयोग को शिकायत की है कि शासकीय महाविद्यालयों में नियमित पाठ्क्रम के अलावा भागीदारी समितियों के माध्य से स्ववित्तिय पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले आदिवासी छात्रों की फीस सत्र 2014–15 तक आदिमजाति कल्याण विभाग के माध्यम से शासन द्वारा वहन की जाती थी किंतु सत्र 2015–16 से यह फीस विद्यार्थियों से वसूली जा रही है। कलेक्टर बड़वानी ने इस विषय पर आयोग को अवगत कराया कि यह सत्य है कि सत्र 2014–15 तक फीस आदिमजाति कल्याण विभाग वहन कर रहा था किंतु सत्र 2015–16 से इस मद में राशि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय ने श्री जी.एस. नेताम, अपर आयुक्त, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, भोपाल से इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही इस मामले पर उचित कार्रवाई कर आयोग को अवगत करवाएंगे। (iii) अध्यक्ष महोदय ने अवलदा गांव के निकट पिछोरी गांव में स्थित निर्मित पानी की टंकी से जल वितरण न होने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि मैं कल इसी गांव में जाकर वह टंकी देखकर आ रहा हूं जो कई वर्षों से बन कर खड़ी है किंतु जल वितरण के लिए पाइप लाइन का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। कलेक्टर बड़वानी ने बताया कि यह उनके भी संज्ञान में है

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

और वे जल्दी ही जल वितरण की समस्या को दूर करेंगे। (iv) बड़वानी जिले में 7 वन ग्राम हैं (घजारा, तोड़खेड़ी, बोरखेड़ी, भादल, कोटवानी, मोंगसा आदि) जो डूब में आ गए हैं किंतु उन्हें पुनर्वास हेतु जारी सूची में नहीं रखा गया है। जिसके कारण उन्हें विस्थापित होने के बावजूद पुनर्वास का कोई मुआवजा प्राप्त नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय ने यह समस्या शासन के अधिकारियों के समक्ष रखी। प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने बताया कि यह मेरे संज्ञान में है किंतु 2005 का वन अधिकार का संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसे गांवों को पुनर्वासित नहीं हो पा रहे हैं।

(कार्रवाई जिला कलेक्टर बड़वानी)

7.2 जिला आलीराजपुर से संबंधित समस्याओं पर चर्चा:–

अध्यक्ष महोदय ने जिला आलीराजपुर में भ्रमण के दौरान अवलोकन की गई तथा विस्थापित अनुसूचित जनजाति से प्राप्त अभ्यावेदनों पर जिला कलेक्टर श्री शेखर वर्मा से चर्चा की–(i) आयोग के ककराना भ्रमण के दौरान शिकायत प्राप्त हुई की पिताड़ा, अंजनवाड़ा, जलसिंधी में राशन की दुकाने नहीं चल रही हैं। ककराना में भी दो महीने में एक बार राशन प्राप्त होता है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि राशन की दुकान हेतु सेल्फ फेयर ग्रुप बनाए जाएं एवं आशा वर्कर को नियुक्त किया जाए ताकि विस्थापित अनुसूचित जनजाति परिवारों को समय पर शासन द्वारा दी गई राशन की सुविधा में विलंब न हो। कलेक्टर आलीराजपुर ने आयोग को अवगत कराया कि उनके पास इस प्रकार की कोई शिकायत आज तक प्राप्त नहीं हुई है। उनके रिकॉर्ड के अनुसार इन स्थानों पर हर माह राशन का वितरण हुआ है। आयोग की इस शिकायत पर वे संबंधित तहसील/ब्लॉक स्तर पर जांच करेंगे। (ii) माननीय अध्यक्ष महोदय ने ककराना में पानी की टंकी के बनने के बावजूद पाइप लाइन नहीं बनने के कारण जल वितरण के समस्या पर कलेक्टर आलीराजपुर से उत्तर मांगा। कलेक्टर आलीराजपुर ने कहा कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि इस क्षेत्र में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है जिसके कारण विभिन्न शारीरिक बीमारियां होती हैं। पीने के पानी के वितरण से पूर्व यदि फिल्टर प्लांट लगवा दिए जाएं तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है। आयुक्त, इंदौर ने तीनों कलेक्टरों को निर्देश दिए कि 15 दिन के भीतर सभी जल वितरण स्थानों पर फ्लोराइड की जांच की जाए तथा फिल्टर प्लांट के लिए उचित कार्रवाई कर उन्हें अवगत कराएं। (iii) आलीराजपुर के कुछ गांव डूब क्षेत्र से लगे हुए हैं जहां पर पूर्व में बोट सर्विस राज्य शासन द्वारा रखी गई थी जो पिछले एक साल से बंद कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय ने इस समस्या के समाधान हेतु कलेक्टर आलीराजपुर को कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह बोट सर्विस पुनः प्रारंभ कर दी

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जाएगी। (iv) ककराना के भ्रमण के दौरान आयोग को शिकायत मिली थी कि ककराना में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है लेकिन यह केंद्र सप्ताह में केवल एक दि ही खुलता है जिसमें डॉक्टर नहीं हैं केवल कम्पाउंडर ही आता है। कलेक्टर आलीराजपुर ने कहा कि यह समस्या जिले में विद्यमान है जिस पर शासन द्वारा कार्रवाई की जाना है। डॉक्टर तथा शिक्षकों की कमी इस क्षेत्र में विगत कई वर्षों से बनी हुई है।

(कार्रवाई जिला कलेक्टर आलीराजपुर)

7.3 जिला धार से संबंधित समस्याओं पर चर्चा:– (i) निसरपुर गांव तहसील कुक्षी के पुनर्वासित स्थल पर एक अनुसूचित जनजाति शासकीय छात्रावास बनाया गया है जो 2007 में बनकर तैयार हो गया था। 2007 से आज तक उस छात्रावास में मूलभूत आवश्यकताएं जैसे पानी, बिजली नहीं होने के कारण छात्रावास में छात्र नहीं रह पा रहे हैं। यह शासन की ओर से एक पुनर्वासित बसाहट है जिसमें कुछ घर भी बने हुए देखे गए जो जीर्ण–क्षीण अवस्था में थे। यह स्थल पथरीला तथा ऊबड़–खाबड़ है जिसमें पुनर्वासित आदिवासी अपना घर नहीं बना सकते। आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि चूंकि निसरपुर की पुरानी बसाहट डूब में नहीं आई है जिसके कारण आदिवासी एवं अन्य लोग अपने मूल स्थान पर ही रह रहे हैं। यह स्थान उनके मूल स्थान से कुछ दूरी पर है। बसाहट न होने के कारण छात्रावास में सुविधाएं नहीं दी गई हैं। बसाहट न होने के कारण इस छात्रावास में कोई छात्र नहीं रह सकता। (ii) धार जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग आदिवासी संस्थाओं द्वारा रखी गई थी। अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर शासन से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि धार से 60 किलो मीटर की दूरी पर स्थिति जिला खण्डवा में अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होने जा रहा है।

(कार्रवाई जिला कलेक्टर धार,)

7.4 आयोग ने धार, आलीराजपुर तथा बड़वानी के दौरे में विस्थापित अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त अभ्यावेदनों एवं सुनी गई शिकायतों के आधार पर संबंधित जिलों के कलेक्टर से कार्यवाही किए जाने हेतु उपरोक्त चर्चा की । साथ ही संबंधित कलेक्टर से कार्यवाही कर आयोग को एटीआर भेजने हेतु कहा गया।

रामेश्वर ओरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

8.0 दिनांक 28.09.2016 को श्री के. के. सिंह प्रमुख सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास, श्री रजनीश वैश्य, प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, श्री संजय दुबे, आयुक्त, संभाग इंदौर एवं अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा एवं सलाह :–

दिनांक 28.09.2016 को दोपहर 12:00 बजे आयुक्त इंदौर के मीटिंग हॉल में बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश, राज्य शासन के अधिकारी सम्मिलित हुए। श्री के. के. सिंह प्रमुख सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास, श्री रजनीश वैश्य, प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, श्री संजय दुबे, आयुक्त संभाग इंदौर, श्रीमती रेणु पंत, निदेशक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, श्री श्रीमंत शुक्ल, कलेक्टर, धार, श्री तेजस्वी नायक कलेक्टर, बड़वानी तथा श्री शेखर वर्मा कलेक्टर आलीराजपुर ने भाग लिया।

8.1 अध्यक्ष महोदय ने मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों को जिला आलीराजपुर, धार तथा बड़वानी के दौरे में अवलोकित अनुसूचित जनजातियों की जीवन परिस्थितियां एवं उनकी समस्याओं की जानकारी दी। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे दौरे में विस्थापित अनुसूचित जनजाति के वर्तमान जीवन को निकट से देखकर आए हैं। उनके जीवन निर्वाह की दशा के संकेतकों का अध्ययन किया गया है। शासन द्वारा दिए जा रहे संकेतकों तथा अवलोकन किए गए संकेतकों में भारी अंतर पाया गया। विस्थापित आदिवासी अपनी मूल परिस्थिति में कोई सुधार नहीं कर पाए हैं। नर्मदा अवॉर्ड के आधार पर पारित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.10.2000 में यह स्पष्ट कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का कार्य होगा। वर्तमान स्थिति से बेहतर विकास के साथ हर परिवार को बसाया जाएगा। सरदार सरोवर के विस्थापितों एवं जोबट के विस्थापित अनुसूचित जनजाति से मिलने के बाद जो मुख्य तथ्य सामने आए हैं वह यह हैं कि महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य ने विस्थापितों के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कुछ बेहतर सुविधाएं दी हैं। इन दोनों राज्यों के विस्थापित अनुसूचित जनजाति राज्य सरकार द्वारा किए गए पुनर्वास कार्यक्रमों के स्तर से संतुष्ट हैं। किंतु अत्यंत खेद है कि मध्य प्रदेश राज्य के विस्थापित अनुसूचित जनजाति राज्य शासन द्वारा किए गए पुनर्वास कार्यों से असंतुष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित बिंदुओं पर राज्य शासन से वार्तालाप की एवं अपने सुझाव दिए:–

8.2 संयुक्त सर्वेक्षण :–

माननीय अध्यक्ष महोदय ने राज्य शासन से डूब में आए हुए गांवों का एक संयुक्त सर्वेक्षण करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस सर्वे में बांध के पानी का डूब क्षेत्र में स्तर नापने हेतु विशेषज्ञ इंजीनियरों को नियुक्त किया जाए ताकि वे डूब में

रामेश्वर 3/10

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi